

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-2-10-16

संख्या-12/प0-(क0) 7004/11-सा0प्र0-13429 /बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित करने हेतु सेवा सौंपी जाती है/पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री अनुराग कौशल सिंह, 1067/11, भोजपुर	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, पटना ।
2	श्रीमती पूनम कुमारी, 975/11, नवादा	सचिव, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान एवं परीक्षा बोर्ड, पटना ।	भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में ।
3	श्री अखिलेश कुमार सिंह, 871/11, कैमूर	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	उप सचिव (अपने वेतनमान में), पिछड़ावर्ग एवं अतिपिछड़ावर्ग कल्याण विभाग, पटना ।
4	श्री अनिमेष कुमार, 864/11, पूर्वी चंपारण	परिवहन विभाग द्वारा सेवा वापस ।	उप सचिव(अपने वेतनमान में), योजना एवं विकास विभाग, पटना ।
5	श्री गुफरान अहमद, 909/11, औरंगाबाद	विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, पटना ।	उप सचिव (अपने वेतनमान में), सामान्य प्रशासन विभाग, पटना ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विजय मोहन नागपटनी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(क0) 7004/11-सा0प्र0-13429 /पटना, दिनांक-2-10-16

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, पिछड़ावर्ग/अतिपिछड़ावर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि क्रमांक 2 पर अंकित पदाधिकारी श्रीमती पूनम कुमारी को भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापन के पूर्व निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-3380 दिनांक 01.09.2016 के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है ।



सरकार के अवर सचिव